

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
E-Mail- additionaldirector10@gmail.com

क्रमांक / विभाग / ए / १ / २०१८ / ६७
प्रति.

भोपाल, दिनांक १०/१०/१८

- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मण्डला डिप्लॉरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाडुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के तहत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियुक्ति बाबत।

संदर्भ :- म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक / एफ-१-५९ / २०१८ / २०-१ दिनांक 10.08.2018 एवं लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र० का पत्र क्रमांक / शि०क० / विभ०० / ए / १ / २०१८ / ०७ दिनांक 21.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 06.10.2018 से प्रदेश में विधान सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों की नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। कृपया सुनिश्चित करें कि नवीन संवर्ग में कोई भी नियुक्ति आदेश जारी न किया जाये। *2-6*

(जयश्री कियाधत) ४
आयुक्त
लोक शिक्षण, म०प्र०

पृ०क्रमांक / विभाग / ए / १ / २०१८ / ६८

भोपाल, दिनांक १०/१०/१८

प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-6
आयुक्त
लोक शिक्षण, म०प्र०